

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 273/2019

नीलम शिल पुत्री जग्गासिह जाति मजहबी सिख निवासी वार्डनं 05, सूरेवाला तहसील
हिब्बी जिला हनुमानगढ़। वादीया

बनाम्

जितेन्द्रसिह पुत्र जग्गासिह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नं 05, सूरेवाला तहसील
हिब्बी जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नरेन्द्रपाल वर्मा वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री
महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी के नाम से चकनं 13 सीडीआर के ज0सं 2075 ता
78 के खाता सं 133/123 में संयुक्त खाता में कुल 1.012 है 0 मे से 1/2 हिस्सा
अर्थात् .506 है 0 नहरी कृषि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाकर चकनं 13 सीडीआर के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं 133/123
में से प्रतिवादी जितेन्द्र सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की
स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

अदा करें।
बसबा मेरे वास्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03/10/19 को जारी
किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी